

# न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी-डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या- 123/2017

बउनवान

बालमुकुन्द उम्र 50 साल पुत्र श्री धूलीलाल जाति-मीणा निवासी-मऊ  
तहसील-बारां, जिला-बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जय्ये नायब तहसीलदार, मॉंगरोल

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :- 1. श्री बाबूलाल जैन, अभिभाषक

2. परोकार सरकार

3. सदस्य बेंच

(अपीलांट)

(रेस्पोंडेंट)

राजस्व लोक अदालत निर्णय दिनांक 28.05.2018



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

अपीलांट ने जय्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मॉंगरोल के आदेश दिनांक 14.7.2017 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम-मऊ, तहसील-बारां की आराजी खसरा नम्बर 1020 रकबा 0.08 हैक्टर किस्म बाराणी 1 पर अतिक्रमी मानकर 128/-रूपये अर्थदण्ड एवं 90 दिन(तीन माह) के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उक्त आराजी बाराणी द्वितीय नहीं होकर बंजड भूमि है। अपीलांट भूमिहीन है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई के लिये तलब किया है, किन्तु अनुपस्थिति बताकर बिना इत्तला दिये एकतरफा आदेश पारित किया है। धारा-22 में नायब तहसीलदार को सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने में भारी भूल की है। विवादित आराजी अपीलांट का वर्तमान में कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 14.7.2017 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जय्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर राजस्व लोक अदालत में बेंच सदस्य की उपस्थिति में विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व

जिला कलक्टर  
बारां (राज०)

जवाबदेही का कोई अवसर नहीं देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। तावान राशि जमा करा दी है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौका देखे मात्र हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित किया है। धारा-22 के नायब तहसीलदार को कोई अधिकार नहीं है, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सजायाब करने में भारी भूल की है। अतः लोक अदालत की भावना से अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.7.2017 निरस्त फरमाया जावे।


इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर सम्वत् 2073 में भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि वर्तमान में उक्त आराजी कब्जा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति लोक अदालत की भावना को दृष्टिगत रखते हुये, सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मॉंगरोल द्वारा पारित बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 1/17 में पारित निर्णय दिनांक 14.07.2017 दी गयी सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड़ दें तहसीलदार, मॉंगरोल के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिंग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, मॉंगारोल कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मॉंगरोल द्वारा निर्णय दिनांक 14.7.2017 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मॉंगरोल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.07.2017 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर



  
(डॉ०एस.पी.सिंह)  
जिला कलक्टर, बारां  
जिला कलक्टर  
बारां (राज०)